रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122022-241378 CG-DL-E-24122022-241378

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5772] No. 5772] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSHA 1, 1944

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6013(अ).—जबिक, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 863(अ) दिनांक 01 अप्रैल, 2013 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 53) के किमी 166.725 से किमी 649.00 तक अमरावती से गुजरात/ महाराष्ट्र सीमा सेक्शन तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को (जिसे इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 तथा अनुवर्ती संशोधन (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 6) के डिजाइन चैनेज किमी 422.700 से किमी 510.000 (किमी 423.680 से किमी 511.200 तक मौजूदा चेनेज) से तारसोद से फागने खंड हेतु 61.522 किमी सड़क खंड की निवल लंबाई के लिए और समकक्ष संरचना लंबाई (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) 8.790 किमी (जिसकी लंबाई 0.879 किमी है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ(2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% पर तथा बाइपासों जिनकी लम्बाई 24.899 किमी है और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है, के उपयोग हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना पर से एतद्वारा शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात—

8587 GI/2022 (1)

सारणी-1				
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)			
(1)	(2)			
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65			
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05			
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20			
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40			
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूर्विंग उपस्कर	3.45			
(ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)				
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20			

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

	सारणी 2	
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में सबगावहन ख. के निकट एनएच-53 (पुराना एनएच-6) के किमी 500.580 (मौजूदा किमी 502.138) पर	61.522 किमी [बाईपास की लंबाई (10 करोड़ से अधिक की लागत) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर, ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई हेतु, शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

	सारणी 3						
शुल्क	प्लाज़ा	बाइपास का नाम	पर शुरू होकर	पर मिलते हुए	बाइपास की	लंबाई और	दर जिस पर
का	अवस्थान				लागत जि	पके लिए	शुल्क संदेय है
(चेनेज	T)				अतिरिक्त शुल्क	संदेय है	
					लम्बाई	लागत	
					(कि.मी .में)	(करोड़	
						रुपए में)	
		T		T	I	. ,	
			डिजाइन चैनेज	डिजाइन चैनेज	17.199	406.03	
			किमी 423.560	किमी			
I)-	ग़राष्ट्र के	जलगांव	(मौजूदा किमी	441.260			
	ुराट्ट क ाँव जिले में		424.550)	(मौजूदा किमी			
*(\1\1	ाचाचरा प			441.405)			

सबगावहन ख. के निकट एनएच-53 (पुराना एनएच- 6) के किमी	परोला	डिजाइन चैनेज किमी 482.160 (मौजूदा किमी 483.650)	डिजाइन चैनेज किमी 487.060 (मौजूदा किमी 488.630)	4.900	47.20	ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित
500.580 (मौजूदा किमी 502.138) पर	मुक्ति	डिजाइन चैनेज किमी 502.560 (मौजूदा किमी 504.120)	डिजाइन चैनेज किमी 505.460 (मौजूदा किमी 506.675)	2.800	42.64	आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

सारणी 4								
(चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है					
महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में सबगावहन ख. के निकट एनएच-53 (पुराना एनएच-6) के किमी 500.580 (मौजूदा किमी 502.138) पर	0.879^		ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %					
कुल लंबाई	0.879	8.790						

^ 60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

	चैनेज			
क्रम संख्या	किमी से	किमी तक	संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में )
1	426.694	426.788	आरओबी	0.094
2	436.233	436.563	बड़ा पुल	0.330
3	440.182	440.259	आरओबी	0.077
4	460.961	461.028	बड़ा पुल	0.067
5	489.664	489.875	बड़ा पुल	0.211
6	503.714	503.814	बड़ा पुल	0.100
		0.879		

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/ रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्ः

	तालिका-5	
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की	वैधता अवधि
	अधिकतम संख्या	
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह
शुल्क की राशि का दो-तिहाई		

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2267.99 करोड़ रुपए है। (पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं और अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा)। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू.जेएएल/टी-एफ़/एनएच-06 (नया एनएच -53) टोल नोटिफिकेशन/2022/ दिनांकः 05.04.2022]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2022

**S.O.** 6013(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 863(E) dated 1st April, 2013 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1998) the Central Government has entrusted the Amravati to Gujarat/Maharashtra Border Section from Km. 166.725 to Km. 649.00 of National Highway 6 (New National Highway 53) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and subsequent amendments (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 61.522 km and for equivalent length (having length more than 60m) of 8.790 km (having length 0.879 km) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 24.899 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of the Tarsod to Fagne section from Design Chainage Km. 422.700 to Km. 510.000 (Existing Chainage From Km. 423.680 to Km. 511.200) of National Highway 53 (Old National Highway 6) in the State of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table 1				
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)			
(1)	(2)			
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65			
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05			
Bus or Truck (Two Axles)	2.20			
Three-axle commercial vehicles	2.40			
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45			
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20			

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

Table 2						
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable				
At Km 500.580 (Existing Km 502.138) of NH-53 (Old NH-6) near Subgavhan Kh. Village in Jalgaon district of Maharashtra	61.522 km [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above				

2. In addition to above, The following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:—

			Table 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Marging of I navable	bypass for which additional fee is		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crore)	
A. V. 500 500	Jalgaon	Design Chainage Km 423.560 (Existing Km 424.550)	Design Chainage Km 441.260 (Existing Km 441.405)	17.199	406.03	
At Km 500.580 (Existing Km 502.138) of NH-53 (Old NH-6) near Subgavhan Kh. Village in Jalgaon district of Maharashtra	Parola	Design Chainage Km 482.160 (Existing Km 483.650)	Design Chainage Km 487.060 (Existing Km 488.630)	4.900	47.20	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Mukti	Design Chainage Km 502.560 (Existing Km 504.120)	Design Chainage Km 505.460 (Existing Km 506.675)	2.800	42.64	

3. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:—

Table 4						
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)			
At Km 500.580 (Existing Km 502.138) of NH-53 (Old NH- 6) near Subgavhan Kh. Village in Jalgaon district of Maharashtra	0.879^	8.790	100% of the base rates mentioned in Table-1 above			
Total Length	0.879	8.790				

<sup>^</sup>Details of Structures having length more than 60m are as under:

	Chainag	ge		
Sr. No.	From Km	To Km	Type of Structure	Length (in Km)
1	426.694	426.788	ROB	0.094
2	436.233	436.563	Major Bridge	0.330
3	440.182	440.259	ROB	0.077
4	460.961	461.028	Major Bridge	0.067
5	489.664	489.875	Major Bridge	0.211
6	503.714	503.814	Major Bridge	0.100
	Total Structure Length > 60m			0.879

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315/- (Rupees Two Hundred and Sixty Five) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said Fee Rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is **Rs. 2267.99 crore**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU-JAL/T-F/NH-06(NewNH-53)/TollFeeNotification/2022/dtd.05.04.2022]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.